कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–उनि/सशि/निशु/पापु/विविध/2019–20/292 दिनांक:– 16/10/2020

1. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

अति–आवश्यक

विषयः– शैक्षिक सत्र 2020–21 में समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण बावत।

प्रसंगः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 502 दिनांक 28.07.2020, 550 दिनांक 08.09.2020 व 277 दिनांक 25.09.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 में समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण बावत समय–समय पर निर्देश जाते रहे है। इस संबंध में कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कोविड–19 की गाईडलाईन की पालना करते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाना था।

यह ध्यान में आया है कि अभी भी ब्लॉक नोडल/पीईईओ विद्यालय/विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण से शेष पड़ी हुई है। यह स्थिति कतई स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान में विद्यार्थियों को ऑनलाईन अध्यापन करवाया जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थियों के पास निःशुल्क पाठ्य पुस्तके होना जरुरी है। उक्त क्रम में अग्रांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए:–

1. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल जयपुर के जिला वितरण केन्द्र से समन्वय कर दिनांक 17.10.2020 तक ब्लॉक नोडल विद्यालयों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके प्रेषित की जाए।
2. सभी ब्लॉक नोडल विद्यालयों से पीईईओ/शहरी नोडल विद्यालयों तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दिनांक 19.10.2020 तक प्रेषित की जाए।
3. कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं कक्षा 9 से 12 के पात्र विद्यार्थियों/अभिभावकों को दिनांक 21.10.2020 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण किया जाए।
4. प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित मॉड्यूल में प्रविष्टि की जाए।

प्रदत्त निर्देशों की पालना सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जाए ताकि विद्यार्थी ऑनलाईन अध्ययन में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का उपयोग ले सके। निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, शिक्षा सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
2 निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3 निजि सचिव, श्रीमान सचिव राजस्थान राज्य पाठय पुस्तक मण्डल जयपुर।
4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (मुख्यालय)
5 समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6 समस्त ब्लॉक नोडल विद्यालय प्रभारी/पीईईओ एवं शहरी नोडल प्रभारी
7 समस्त संस्था प्रधान, राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय।
8 शाला दर्पण प्रभारी, कार्यालय हाजा को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने बाबत।

उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय का पता – निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, दूरभाष – 0151–2544164 ईमेल –: socialedu.gov@gmail.com